प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, मण्डल– आगरा एवं अलीगढ़।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी**, मण्डल– आगरा एवं अलीगढ़।
3. **मण्डलीय परियोजना प्रबंधक**, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मण्डल– आगरा एवं अलीगढ़।

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015–16/10/ 6978-3 दिनांकः 15/1/16

विषयः– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सूर सदन, आगरा के सभागार में दिनांक 05 जनवरी 2016 को आहूत की गई मण्डलीय समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में **सूर सदन, आगरा के सभागार में दिनांक 05 जनवरी 2016 को** मण्डल आगरा एवं अलीगढ़ की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, महानिदेशक–परिवार कल्याण, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, महाप्रबंधक, एम0आई0एस0, उपमहाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य, उपमहाप्रबंधक, एन0सी0डी0/एम0 एण्ड ई0, एस0पी0एम0यू0, तथा मण्डल आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल के अपर निदेशकों, मुख्य चिकित्साधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं, अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों, मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधकों एवं सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए 10 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण तथा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीय,

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015–16/10/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. अधिशासी निदेशक/अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा।
7. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।
8. संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, वित्त नियन्त्रक एवं अधिशासी अभियन्ता राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, मण्डल– आगरा एवं अलीगढ़।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी**, मण्डल– आगरा एवं अलीगढ़।
3. **मण्डलीय परियोजना प्रबंधक**, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मण्डल– आगरा एवं अलीगढ़।

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015–16/10/ दिनांकः 15/1/16

विषयः– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सूर सदन, आगरा के सभागार में दिनांक 05 जनवरी 2016 को आहूत की गई मण्डलीय समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में **सूर सदन, आगरा के सभागार में दिनांक 05 जनवरी 2016 को** मण्डल आगरा एवं अलीगढ़ की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, महानिदेशक–परिवार कल्याण, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, महाप्रबंधक, एम0आई0एस0, उपमहाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य, उपमहाप्रबंधक, एन0सी0डी0/एम0 एण्ड ई0, एस0पी0एम0यू0, तथा मण्डल आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल के अपर निदेशकों, मुख्य चिकित्साधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं, अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों, मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधकों एवं सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए 10 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण तथा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीय,

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2015–16/10/ 8978-3-10 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. अधिशासी निदेशक/अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा।
7. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।
8. संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, वित्त नियन्त्रक एवं अधिशासी अभियन्ता राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 05 जनवरी, 2016 को सम्पन्न क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 05.01.2016 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मण्डल आगरा एवं अलीगढ़ में बैठक का आयोजन सूर सदन, आगरा में किया गया। बैठक में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, महानिदेशक–परिवार कल्याण, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, डा0 विकास गोथलवाल, अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, महाप्रबंधक, एम0आई0एस0, उपमहाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य, उपमहाप्रबंधक, एन0सी0डी0/एम0 एण्ड ई0, एस0पी0एम0यू0, तथा मण्डल आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल के अपर निदेशकों, मुख्य चिकित्साधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं, अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों, मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधकों एवं सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत है–

चर्चा के बिन्दु एवं दिये गये निर्देश –

मिशन निदेशक द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों की गति बढ़ाने एवं अपेक्षित व्यय करने हेतु रणनीति बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि पिछले वित्तीय वर्षो में स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि हुई है। उक्त क्रम में जनपदों द्वारा भी कार्ययोजना के अनुसार व्यय वृद्धि की अपेक्षा की जाती है।

1. वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि एन0एच0एम0 के बजट का 60 से 70 प्रतिशत व्यय ब्लाक स्तर पर किया जाता है। अतः मुख्य चिकित्साधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि राज्य स्तर से बजट अवमुक्त होने के पश्चात् शीघ्र बजट संबंधित चिकित्सा इकाईयों को हस्तांतरिन्त कर देना चाहिये। वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि कमिटेड गतिविधियों के अन्तर्गत व्यय की समय सीमा 31 जनवरी 2016 तक कर दी गई है।

   (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
2. कमिटेड व्यय के अन्तर्गत मैनपुरी का 15.03 प्रतिशत ही व्यय किया गया है। जो कि उक्त दो मण्डलों में सबसे कम है। मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण एजेन्सी द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर व्यय बढ जायेगा। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि 31 जनवरी 2016 तक कमिटेड व्यय में अपेक्षित सुधार लाये।

   (कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)
3. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक का आयोजन करें तथा संबंधित चिकित्सा इकाईयों को नियमानुसार बजट आवंटन एवं हस्तांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उक्त समीक्षा बैठक मे अपरान्ह में ही की जायेगी। अवगत कराया गया कि जनपद कार्ययोजना में आवंटित बजट जिसमें राज्य द्वारा दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके है, उन गतिविधियों हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति में निर्णय लिया जा सकता है तथा शासी निकाय जिला स्वास्थ्य समिति को अवगत कराया जाना चाहिये। शासी निकाय की बैठक में विलम्ब होने के कारण नियमित संकलित की जाने वाली गतिविधियों में व्यवधान की स्थिति नहीं आनी चाहिये।

   (कार्यवाही– अपर निदेशक/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

4. वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक बैलेन्स एवं एफ0एम0आर0 माह आकडों में रिपोर्ट में काफी अन्तर रहता है जिसके कारण जनपद की वित्तीय अभिलेख की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। अतः सभी जिला लेखा प्रबंधकों को नियमित रुप से बैंक स्टेटमेण्ट एवं एफ0एम0आर0 का मिलान करने के पश्चात् ही अंतिम रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित की जानी चाहिये।

(कार्यवाही– समस्त जिला लेखा प्रबंधक)

5. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि एन0एच0एम0 के अन्तर्गत जो भी व्यय प्रेषित नहीं किया गया है कि वह एक हफ्ते के अंदर हस्तांतरित कर दें।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

6. जनपद कासगंज, मैनपुरी एवं फिरोजाबाद द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट के अन्तर्गत बजट जिला चिकित्सालय एवं संबंधित चिकित्सा इकाईयों को हस्तांतरित नहीं किया गया है। जनपद हाथरस, कासगंज एवं मैनपुरी द्वारा ब्लाक कार्यकम प्रबंधन इकाई के आवंटित आपरेशनल मद का बजट अवमुक्त नहीं किया गया है। उक्त संबंध में सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आवंटित बजट की पूर्ण धनराशि संबंधित इकाईयों को शीघ्र बजट हस्तांतरित एवं निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

7. मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा क्लीनिंग स्वीपिंग एवं लान्ड्री का बजट जिला महिला/पुरुष चिकित्सालय हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण चिकित्सालय की स्वच्छता बनाये रखने में समस्या हो रही है। उक्त संबंध में सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आवंटित बजट की पूर्ण धनराशि संबंधित इकाईयों को शीघ्र बजट हस्तांतरित एवं निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

8. मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मेरठ में उनके निरीक्षण के दौरान अपेक्षित प्रचार प्रसार/आई0ई0सी0 अवलोकन में नहीं आई। समस्त चिकित्सा इकाईयों के प्रभारी अधिकारी से अपेक्षा की गई आई0ई0सी0 हेतु बजट का सद्पयोग सुनिश्चित करें। मिशन निदेशक द्वारा मेरठ जनपद के आई0ई0सी0 पर व्यय की समीक्षा हेतु राज्य स्तर से टीम भेजने हेतु निर्देश दिया।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक, आई0ई0सी0, एन0एच0एम0)

9. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि चिकित्सालय की आवश्यकता यथा शौचालय, टूट–फूट, बायोमेडिकल वेस्ट, परिसर की साफ सफाई, मरीजों के बैठने हेतु आवश्यक बैंच एवं कुर्सियां, पेयजल व्यवस्था आदि का आंकलन करते हुये रोगी कल्याण समिति हेतु वार्षिक कार्ययोजना बनाकर शासी निकाय रोगी कल्याण समिति से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। यह भी निर्देशित किया गया कि यदि किसी चिकित्सा इकाई में निरीक्षण के दौरान स्वच्छता की स्थिति खराब पाई गई तो संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

10. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत आवंटित पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाये तथा जिन अरबन पी0एच0सी0 पर संविदा स्टाफ की तैनाती की जा चुकी है, को नियमित रुप से वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराये। उक्त दोनो मण्डलों के अरबन पी0एच0सी0 को औषधि एवं कन्जयूमेबिल्स में आवंटित बजट का व्यय शून्य या नगण्य है। निर्देशित

किया गया कि अरबन पी0एच0सी0 को उपलब्ध करायी जाने वाली औषधियों का व्यय एन0यू0एच0एम0 के संबंधित एफ0एम0आर0 कोड में प्रदर्शित किया जाये।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक, एन0यू0एच0एम0/समस्त अरबन नोडल अधिकारी)

11. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशाओं एवं लाभार्थियों का भुगतान ससमय कर दिया जाये। अन्यथा की दशा में संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। प्रमुख सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रसूताओं के बैंक में खाता न होने के कारण भुगतान लम्बित रहता है। उक्त कम में प्रसूता के खाते में जननी सुरक्षा योजना का मानदेय पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जाने हेतु आदेश शीघ्र ही निर्गत कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

12. महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस द्वारा अवगत कराया गया कि आशाओं का प्रतिमाह औसतन मानदेय लगभग रु0 570 ही मिल रहा है जो कि अपेक्षित रु0 2500 प्रतिमाह से काफी कम है। उक्त संबंध में निर्देशित किया गया कि आशाओं से निर्धारित कार्य करना सुनिश्चित कराया जाये तथा संबंधित मद में मानदेय का भुगतान नियमित रुप से किया जाये। प्रमुख सचिव द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि आशाओं की नियमित रुप से मेंनटरिंग की जाये जिससे की वह समस्त निर्धारित मद में मानदेय प्राप्त करने में सक्षम हो सके।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक, कम्युनिटी प्रोसेस/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

13. जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम के अन्तर्गत आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल का औसत व्यय 46 प्रतिशत ही है जो कि अपेक्षा से अत्यन्त कम है। प्रमुख सचिव द्वारा यह निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारी योजना के अंतर्गत निःशुल्क भोजन की उपलब्धता एवं ड्रग एवं कन्जयूमेबिल्स सुनिश्चित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करें। जननी शिशु सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भोजन 100 रु0 प्रतिदिन की दर से आवश्यक रुप से सुनिश्चित की जाये। आगरा जनपद द्वारा रु0 130 प्रतिदिन की दर से भोजन सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है जो कि दिशा निर्देशों के प्रतिकूल है। वित्त नियंत्रक को इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं सुधारात्मक कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया ।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

14. कतिपय जनपदों में प्रतिदिन भोजन रु0 60 से 70 प्रतिदिन की दर से सेवा प्रदाता द्वारा दिया जा रहा है। उक्त दर में गुणवत्तापरक भोजन उपलब्ध कराना कठिन है। सेवा प्रदाता द्वारा दिये जा रहे भोजन में ब्रेकफास्ट, लन्स एवं डिनर का ब्रेकअप का उल्लेख निविदा शर्तो में किया जाना समीचीन होगा। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत मिशन निदेशक द्वारा महाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि भोजन के संबंध में पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश को संशोधित करते हुये नये दिशा निर्देश जारी कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य)

15. जिला लेखा प्रबंधक, आगरा द्वारा 15 करोड़ रु0 कमिटेड न किये जाने के कारण प्रदेश की पी0आई0पी0 में उक्त धनराशि की हानि हुई है, इस आशय हेतु जिला लेखा प्रबंधक से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया। मिशन निदेशक द्वारा उक्त प्रकार की पुनरावृत्ति से बचने हेतु जिला लेखा प्रबंधकों के कार्य मूल्यांकन हेतु परफारमेन्स अप्रैजल बनाने एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मार्ग दर्शन दिया।

(कार्यवाही– वित्त नियंत्रक)

16. मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट के अन्तर्गत सेवा प्रदाता चिन्हित न होने के कारण वेस्ट प्रबंधन एवं कचरा निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि बायोमेडिकल वेस्ट हेतु टेण्डर में उपयुक्त सेवा प्रदाता न मिलने की स्थिति में जनपद में निजी चिकित्सालयों में बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण सेवा उपलब्ध करा रहे एजेन्सी के माध्यम से नियमानुसार सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक बी0एम0डब्लू0 मैनेजमेंट/मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा)

17. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि क्लीनिंग,गार्डनिंग एवं लाण्ड्री आदि का फन्ड ब्लाक स्तर तक हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक, बी0एम0डब्लू0/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

18. आगरा जनपद द्वारा उपकरणों के कय हेतु आवंटित बजट का व्यय शून्य है मुख्य चिकित्साधिकारी को शीघ्र उपकरणों के कय हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय किया गया। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन करते हुये उपकरणों के कय हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– अपर निदेशक, आगरा एवं अलीगढ़)

19. एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत औषधि एवं कन्जयूमेबिल्स में कम व्यय हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा)

20. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि एन0एच0एम0 के अंतर्गत तैनात संविदा कर्मचारियों को नियमित रुप से मानदेय का भुगतान स्वीकृत किया जाये। संबंधित मद में बजट अनुपलब्धता की स्थिति में एन0एच0एम0 पूल से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

21. वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश जनपदों में पी0एफ0एम0एस0 बैंक एडवाइस स्लिप न भेजने के कारण भुगतान लम्बित रहता है। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समय से एडवाइस स्लिप बैंक को प्रेषित की जाये। लेखा प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वह नियमित रुप से व्यय की समीक्षा करते हुये तथा कान्करेंट आडिट समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– लेखा प्रबंधक/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

22. उपमहाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य द्वारा अवगत कराया गया कि लेबर रुम, ओ0टी0 के सुदृढ़ीकरण हेतु जननी सुरक्षा योजना के प्रशासनिक मद का उपयोग किया जाये। आगरा जनपद में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का भुगतान अत्यंत कम है। उक्त संबंध में प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि आशा एवं ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों के पंजीकरण के समय से ही खाता खुलवाने हेतु प्रयास किये जाये तथा लाभार्थी को प्रसव हेतु चिकित्सालय लाते समय आई0डी0 प्रूफ एवं खाता विवरण लाना सुनिश्चित किया जाये। जननी सुरक्षा योजना में एटा जनपद की उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष के कम है। उक्त संबंध में संस्थागत प्रसव बढ़ाने हेतु आवश्यक रणनीति एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– उपमहाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

23. मिशन निदेशक द्वारा एकीडिटेड उपकेन्द्रों से रिटायर्ड ए0एन0एम0 को संविदा पर नियुक्त करने के संबंध में सुझाव मांगा। इस संबंध में यह आम सहमति बनी कि एकीडिटेड उपकेन्द्रों से रिटायर्ड

ए0एन0एम0 को संविदा पर तैनात करना उचित होगा जिससे उपकेन्द्र पर सेवाओं की निरंतरता बनी रहें।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक, मानव संसाधन/मातृ स्वास्थ्य)

24. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त अपर निदेशक मातृ मृत्यु की गहन समीक्षा करेंगे तथा मातृ मृत्यु आडिट हेतु समस्त प्रपत्र एवं रिर्पोटिंग का रिवेलीडेशन सुनिश्चित करायेगे। परफारमेन्स बेस्ड इनसेन्टिव के अंतर्गत आच्छादित जनपदों कासगंज एवं एटा के मुख्य चिकित्साधिकारियों को योजना के प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं समस्त जनपदों के ऑन कॉल विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। मिशन निदेशक द्वारा मथुरा में एफ0आर0यू0 की संख्या 04 से घटकर 03 हो जाने पर असंतोष व्यक्त किया और निर्देशित किया कि चिन्हित एफ0आर0यू0 प्रत्येक दशा में सक्रिय किये जाने है। अपर मुख्यचिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद को 01 सप्ताह के अंदर एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

25. प्रमुख सचिव द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों से वार्ता के दौरान संज्ञान में आया कि मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा उनसे सम्मानजनक व्यवहार एवं आवश्यक सुविधायें प्रदान न करने के कारण वह अपने कार्यदायित्वों का अपेक्षित निर्वहन नहीं कर पा रहें है। इस संबंध में प्रमुख सचिव द्वार अपेक्षा की गई कि नवनियुक्त चिकित्कों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाये जिससे कि वह अपना पूर्ण योगदान दे सके।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

26. मिशन निदेशक द्वारा मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक अलीगढ़ को मण्डल के जनपदों की उपलब्धि बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक अलीगढ़)

27. प्रमुख सचिव द्वारा वजन दिवस में चिन्हित कुपोषित बच्चों के फालोअप उपचार एवं रेफरल हेतु आवश्यक रणनीति बनाने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव के स्तर से गर्भवती महिलाओं का 100 प्रतिशत पंजीकरण, 04 ए0एन0सी0 एवं अन्य आवश्यक जांचों के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है उक्त संबंध में दिनांक 08.01.2016 को समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस की जायेगी। मातृ दिवस के सर्पोटिव सुपरविजन में स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभाग के जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों का सहयोग भी लिया जाना अपेक्षित है उक्त हेतु हाईरिस्क प्रेगनेंसी की लाइन लिस्टिंग, रेफरल दिवस का निर्धारण माइक्रोप्लान के आधार पर शीघ्र कर लिया जाये एवं आवश्यक लाजिस्टिक की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

28. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त प्रभारी चिकित्सा अधीक्षकों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता दिवस के संबंध में ग्राम प्रधानों से सहयोग हेतु एक अपील पत्र लिखा जाये। मिशन निदेशक द्वारा ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता दिवस प्रशिक्षण शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यकारी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा जनपद हाथरस एवं मथुरा द्वारा ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता के संबंध में 01 दिवसीय प्रशिक्षण को आधे दिन में करने के कारण पुनः प्रशिक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद हाथरस में ग्राम स्वास्थ्य पोषण का प्रशिक्षण बिना माडूल्य के सम्पन्न किया गया। उक्त के संबंध में लापरवाही से संबंधित

अधिकारियों को चिन्हित कर स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा एवं हाथरस)

29. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि उनके यहां जनरेटर न होने के कारण बैकल्पिक विद्युत व्यवस्था की समस्या रहती है। मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि वह रोगी कल्याण समिति के बजट से छोटा जनरेटर क्रय कर लें।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय, हाथरस)

30. प्रमुख सचिव द्वारा राजकीय विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 तक के किशोरियों की संख्या प्राप्त कर सेनीट्री नैपकीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रय शीघ्र करनें एवं संबंधित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

31. एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत अरबन क्षेत्र में आशा के चयन की कार्यवाही दो माह में पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

32. प्रमुख सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शीघ्र ही जनपदों को अतिरिक्त '108' एम्बुलेन्स भेजे जायेंगे, उक्त एम्बुलेन्स को लगाये जाने वाले स्थान का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन सुनिश्चित कर लिया जाये।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

33. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि आवश्यक दवाओं की सूची (विस्तारित ई0डी0एल0) को समस्त चिकित्साधिकारियों के साथ साझा की जाये तथा जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से मांगपत्र प्राप्त कर औषधियों की अपूर्ति सुनिश्चित की जाये। औषधियों की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

34. टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कम उपलब्धि के कारण प्रभारी चिकित्साधिकारी, चिनहट एवं मथुरा के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु अपर निदेशक,आगरा मण्डल को निर्देशित किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिजौली, अलीगढ़ के चिकित्सा अधीक्षक, डा0 कमल सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से हटाने हेतु निर्देश दिये गये। मिशन निदेशक द्वारा महाप्रबंधक, टीकाकरण को निर्देशित किया गया कि मिशन इन्द्रधनुष के दो चरण के बाद भी कम उपलब्धि वाले जिलों में टीम भेजकर विश्लेषण कराया जाये एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संस्तुति प्रस्तुत की जाये।

35. नियमित टीकाकरण में छत्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिजौली एवं आवागढ़ ब्लाक अलीगढ़ में स्थिति संतोषजनक नही है। इस संबंध में मिशन निदेशक द्वारा तीनो चिकित्साधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं सुधारात्मक कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया ।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक, टीकाकरण/मण्डलीय अपर निदेशक)

36. सिक न्यूबार्न केयर यूनिट हेतु मानव संसाधन एवं प्रोक्योरमेन्ट की कार्यवाही साथ–साथ सम्पादित की जाये।

(समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/समस्त मुख्य चिकित्स अधीक्षक/अधीक्षिका)

37. परिवार नियोजन में टप्पल, गोण्डा, हरदुआगंज ब्लाक में नसबंदी के कैम्प का आयोजन सुचारू रूप से नही किया गया। इस संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं सुधारात्मक कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया ।

(कार्यवाही– महाप्रबंधक, परिवार नियोजन/मुख्य चिकित्साधिकारी)

38. ब्लाक गंगेरी के प्रभारी चिकित्साधिकारी बैठक में अनुपस्थित थे। मिशन निदेशक द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुये अपर निदेशक को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

(कार्यवाही– मण्डलीय अपर निदेशक)

39. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन चिकित्सा इकाईयों का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर बच्चों के टीकाकरण की फीडिंग एवं अपग्रेडेशन 40 प्रतिशत से कम है उन्हें चिन्हित किया जाये एवं अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। 08 फरवरी से 23 मार्च 2016 तक हाई रिस्क प्रेगेनेन्सी ट्रेकिंग एवं पंजीकरण फीडिंग को 25 प्रतिशत तक बढाया जाना है।

40. जनपद अलीगढ़ की एस0सी0टी0एस0 फीडिंग की प्रगति संतोषजनक न होने के कारण जिला कार्यक्रम प्रबंधक, अलीगढ़ को फीडिंग में अपेक्षित सुधार लाने हेतु 01 माह का समय दिया गया। फीडिंग की उपलब्धि के आधार पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक, अलीगढ़ का संविदा सेवा विस्तार किया जायेगा।

41. जनपद अलीगढ़ का विभिन्न कार्यक्रमों में उपलब्धि संतोषजनक नही है। मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक जनपद अलीगढ़ से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक, मानव संसाधन)

42. मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दैनिक आधार पर व्यय की समीक्षा की जाये जिससे अपेक्षित व्यय वृद्धि की जा सके। आशाओं के मानदेय का साप्ताहिक भुगतान करने हेतु 01 दिवस नियत किया जाये तथा अपर निदेशक स्तर से प्रगति का फालोअप किया जायेगा। उक्त संबंध में महाप्रबंधक, टीकाकरण को दिशा निर्देश जारी कराने हेतु भी निर्देशित किया गया।

43. महाप्रबंधक, टीकाकरण द्वारा अवगत कराया गया कि बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत क्रय किये गये विटामिन–ए का भुगतान संबंधित फर्मो को नहीं किया गया है। उक्त संबंध में मिशन निदेशक द्वारा समस्त लंबित भुगतान को 15 जनवरी 2016 तक किये जाने हेतु निर्देश दिया गया।

44. मिशन निदेशक द्वारा महाप्रबंधक, बाल स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि जिला महिला चिकित्सालय, मथुरा में दिनांक 15–16 जनवरी को 01 टीम (जिसमें यूनीसेफ के प्रतिनिधि शामिल होगे।) निरीक्षण हेतु भेजी जाये।

45. मिशन निदेशक द्वारा महाप्रबंधक, बाल स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि न्यू बार्न स्टेबलाइजेशन यूनिट एवं एस0एन0सी0यू0 हेतु स्वीकृत स्टाफ नर्स एवं अन्य पदों पर भर्ती की प्रकिया 31 जनवरी से पूर्व पूर्ण कर जी जाये। जनपद कासगंज में मानव संसाधन भर्ती पर लगी रोक के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, लखनऊसे अपेक्षा की गई को इस संबंध में जांच कर समस्या का निस्तारण कराये।

(कार्यवाही– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

46. पोषण पुर्नवास केन्द्रों को आपरेशनल मद में आवंटित धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाये । वजन दिवस में चिन्हित किये गये बच्चों के फालोअप हेतु दिशा निर्देश जारी कराने हेतु महाप्रबंधक, बाल स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया।
47. होम बेस्ड न्यू बार्न केयर के अंतर्गत आशाओं के गृह भ्रमण एवं रिर्पोटिंग को सुनिश्चित किया जाये तथा जिन चिकित्सा इकाईयों में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है उनकी सूची मिशन निदेशक को उपलब्ध कराई जायेगी। मिशन निदेशक द्वारा निर्देशित किया गया कि ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक प्रत्येक दिन एस0बी0एन0सी0 की ट्रेकिंग सुनिश्चित करें। जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक, हाथरस का एच0बी0एन0सी0 रिर्पोटिंग कार्य संतोषजनक न होने के कारण मिशन निदेशक द्वारा चेतावनी दी गई।
48. मिशन निदेशक द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम की रणनीति पर चर्चा हेतु हैल्थ पार्टनर की बैठक 09 जनवरी 2016 को मिशन निदेशक के कार्यालय में करने के निर्देश दिये गये। सर्जन की कमी के विश्लेषण हेतु महानिदेशक, परिवार कल्याण को निर्देशित किया गया। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि हौसला साझेदारी के अंतर्गत प्राइवेट चिकित्सालयों का एक्रीडेशन एवं पी0एस0पी0 सेल से भुगतान की समस्या का निवारण सुनिश्चित कराये।
49. मिशन निदेशक द्वारा एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर 31 जनवरी 2015 तक भर्ती प्रकिया पूर्ण करने, कमिटेड व्यय से उपकरण कय तथा ड्रग एवं कन्जयूमेबिल्स का बजट सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। जन जनपदों में भर्ती पूर्ण की जा चुकी है उन जनवदों में नियुक्त कार्मिको का कार्यक्रम विषयक 01 दिवसीय संवेदीकरण किया जाये।
50. एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत दिशा निर्देश के अनुसार आशाओं की भर्ती हेतु हाऊस होल्ड मैपिंग शीघ्र कर ली जाये तथा भर्ती प्रकिया शीघ्र पूर्ण करा ली जाये। जिला चिकित्सालय के टीम अरबन पी0एच0सी0 पर जाकर कैम्प का आयोजन करें जिससे कि समुदाय में प्रचार प्रसार हो सके। एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0ई0सी0 मद में उपलब्ध बजट का सद्‌पयोग सुनिश्चित किया जाये।
51. पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संदिग्ध मरीजों की दर को बढाया जाये। महाप्रबंधक, एम0 एण्ड ई0 को निर्देशित किया गया कि जनपद फिरोजाबाद में राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु एक दल राज्य स्तर से भेजा जाये तथा विशेष रुप से जिला क्षय रोग अधिकारी के कार्यों की समीक्षा की जाये।
52. मिशन निदेशक द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम को निर्देशित किया गया कि जिन सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की प्रगति कम है उन्हें चिन्हित कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कराया जाये।
53. राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत केटरेक्ट आपरेशन को बढ़ाने हेतु स्वंय सेवी संस्थाओं को इम्पैनल्ड किया जाये जिन जनपदों में उपयुक्त स्थानीय स्वंय सेवी संस्था उपलब्ध नहीं है वहां पर निकट के जनपद से स्वंय सेवी संगठन का चयन किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद मैनपुरी का कार्य संतोषजनक न होने के कारण उनके जिला कार्यक्रम प्रबंधक (अंधता निवारण) को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद मैनपुरी में कार्यक्रम की समीक्षा हेतु अपर निदेशक, आगरा के स्तर से एक निरीक्षण दल का गठन कर गहन समीक्षा कराई जाये।
54. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम को निर्देशित किया गया कि वह पाक्षिक आधार पर कम उपलब्धि वाले जनपदों के संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर मिशन निदेशक को फीडबैक प्रस्तुत करें तथा साथ

ही यह भी निर्देशित किया गया कि जनपदों द्वारा चश्मों का वितरण सुनिश्चित करने तथा चश्मों के वितरण हेतु मांग पत्र 01 सप्ताह के अंदर प्राप्त कर बजट आवंटन सुनिश्चित करे।

55. आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल के चयनित जनपदों में सम्पूर्णा क्लीनिक की स्थापना 31 जनवरी 2015 तक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही– समबन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी)

56. मदर एवं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की फिडिंग एवं अपग्रेडेशन कराने हेतु जिला कार्यकम प्रबंधक को नियमित समीक्षा करने, डाटा रिवेलीडेशन एवं उपलब्धि प्रतिशत बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया। मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की बजट एलोकेशन की शर्तो में एम0सी0टी0एस0 फीडिंग महत्वपूर्ण संकेतक है। उक्त संबंध में यदि भारत सरकार द्वारा बजट में कटौती की जाती है तो कम उपलब्धि वाले जनपद के जिला कार्यकम प्रबंधक उत्तरदायी होंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

15/1/16